

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय,
पिर्यसन रोड,
वन अनुसंधान संस्थान परिसर,
पो0ओ0 न्यू फॉरेस्ट, देहरादून-248006
दूरभाष: 0135-2750809,
ईमेल/Email - nioef.ddn@gmail.com

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT,
FORESTS & CLIMATE CHANGE,
REGIONAL OFFICE,
Pearson Road, FRI Campus,
P.O. New Forest, Dehradun - 248006
Phone: 0135-2750809

पत्र सं0 08बी/यू0सी0पी0/06/60/2015/एफ0सी0/985

दिनांक: 14 अगस्त, 2015

सेवा में,

प्रमुख सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड, देहरादून।

विषय : जनपद-चमोली में मींग गदरा से डांगतौली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.919 है0 वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन

सन्दर्भ : अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन का पत्रांक संख्या-369/X-4-15/1(193)/2015 दिनांक-23.05.2015
महोदय,

उपरोक्त विषय पर संदर्भित पत्र एवं On Line Proposal No. FP/UK/ROAD/9582/2015 का अवलोकन करने का कष्ट करें,
जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

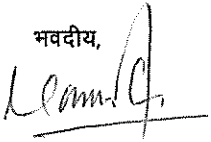
इस विषय में मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में राज्य सरकार से समय-समय पर अतिरिक्त सूचनाएं/स्पष्टीकरण चाहे गए जिनकी अनुपालना प्राप्त होने के उपरांत तथा प्रस्ताव पर ध्यान पूर्वक विचार करने के उपरान्त केन्द्र सरकार जनपद-चमोली में मींग गदरा से डांगतौली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.919 है0 वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 7.838 है0 ग्राम सनेड व ज्यूडा सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
3. शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बड़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMP) के तदर्थ निकाय खाता संख्या 037100101025229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लॉक-11 भूतल, सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में जमा कराया जाए एवं इस कार्यालय को सूचित किया जाए।
5. सड़क निर्माण के पश्चात् जहां संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग देख-रेख में strip plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत् स्वीकृति जारी की जायेगी। कृपया अपूर्ण परिपालना आख्या इस कार्यालय को प्रेषित न की जाये। राज्य सरकार द्वारा विधिवत् स्वीकृति तथा प्रयोक्ता अभिकरण को वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक वन भूमि हस्तान्तरण की विधिवत् स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जारी नहीं की जाती।

सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रेषित करने के पश्चात् विधिवत् स्वीकृति अन्य आवश्यक शर्तों सहित निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जायेगी:-

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
2. एन.पी.वी. की दरों में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।
3. प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 7.838 है० सिविल एवं सोयम भूमि को छः माह के अन्दर भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा तथा नोडल अधिकारी द्वारा अधिसूचना की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
5. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।
6. परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी।
7. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा।
8. कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 352 से अधिक न हो।
9. प्रयोक्ता अभिकरण वन विभाग की देख-रेख में प्रत्यावर्तित भूमि का RCC Pillars लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward तथा Back bearing भी अंकित किया जाएगा।
10. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।
11. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
12. यदि विधिवत् स्वीकृति में दी गई शर्तों का संतोषजनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय,


(एम०एस० नेगी)
उप वन संरक्षक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अपर वन महानिदेशक (एफ०सी०), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

1
(एम०एस० नेगी)
उप वन संरक्षक